न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2018/294

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज चतुर्भुज जाति अहीर निवासी मानसगांव
2. नन्दकिशोर आत्मज भैरूलाल जाति अहीर निवासी मानसगांव
3. पार्वती बाई पुत्री भैरूलाल जाति अहीर
4. मीना बाई पुत्री भैरूलाल जाति अहीर
5. रामकन्या बाई बेवा भैरूलाल जाति अहीर
   निवासीगण मानसगांव जरिये मुख्तारआम नन्दकिशोर आत्मज भैरूलाल जाति अहीर निवासी मानसगांव़
6. लटूर आत्मज चतुर्भुज जाति अहीर निवासी मासगांव
   मृतक जरिये कायम मुकामान–
   6/1 ओमप्रकाश पुत्र लटूर
   6/2 द्वारकीलाल पुत्र लटूर
   6/3 बृजबिहारी पुत्र लटूर
   6/4 शकुन्तला पुत्र लटूर
   6/5 मधु उर्फ मन्जू पुत्री लटूर
   6/6 शांति पुत्री लटूर
   6/7 रामकन्या पुत्री लटूर जाति अहीर निवासी मानसगांव

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वकील बहस :– 1. श्री पेरोकार सरकार, अपीलांट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. श्री दीपक शर्मा, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 6/1 लगायत 6/8 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 31.01.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 78/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मानसगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा में प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 के खाते में खसरा नम्बर 12 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 437 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 26 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 के सेटलमेंट विभाग ने भू–प्रबन्ध कार्य किया जिसके फलस्वरूप नये खसरा नम्बर व रकबा कायम किए गए। प्रार्थीगण के पुराने खसरा नम्बर 12 की 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज थी लेकिन सेटलमेंट विभाग ने गलती से एवं लापरवाही पूर्वक उसके नये खसरा नम्बर 17 रकबा 0.57 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खाते दर्ज नहीं कर सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज कर दिया। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थीगण के खाते में उपरोक्त 0.57 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज कर नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। खातेदार रामावतार आत्मज भैरूलाल बचपन में ही फोत हो गया इसलिये उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 लटूर पुत्र चतुर्भुज के प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने से उसे प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। न्यायहित में पुराने खसरा नम्बर 12 की रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 17 की 0.57 हैक्टेयर भूमि सिवायचक खाते से हटाई जाकर प्रार्थीगण के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम मानसगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नये खसरा नम्बर 17 की रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि सिवायचक खाते से हटाई जाकर प्रार्थीगण के खाते दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2018 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6/1 लगायत 6/8 जरिये अधिवक्ता

उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं डिक्री अधिनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। सम्वत् 2031 से 2034 की जमाबंदी में लटूर, भैरूलाल, प्रहलाद आत्म चतुर्भुज कौम अहीर हिस्सा बराबर खसरा नम्बर 12 की रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 16 की रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 437/16 की 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 की रकबा 26 बीघा कुल किता 4 रकबा 43 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि पर सीलिंग केस होने से 43 बीघा 12 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई थी। मिसल संख्या 1279/75 निर्णय डिक्री नामान्तकरण संख्या 263 दिनांक 16.04.1979 से खसरा नम्बर 16 की रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 26 बीघा, खसरा नम्बर 437/16 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 41 बीघा 8 बिस्वा भूमि पुनः खातेदारी में दर्ज हुई। नामान्तकरण संख्या 263 में पटवारी की टिप्पणी में स्पष्ट अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 12 की 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि का डिक्री में इन्द्राज नहीं है इसलिए लटूर, भैरूलाल वगैरह को उक्त खसरा नम्बर नहीं दिया गया है। भू–प्रबन्ध के उपरांत खाते पर खसरा नम्बर 38 की 2.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 की 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 की 1.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 की 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 की रकबा 0.88 हैक्टेयर कुल किता 5 की रकबा 6.33 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थीगण के खाते दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कि अप्रार्थीगण के खाते दर्ज गत रकबा 0.97 हैक्टेयर के स्थान पर 6.33 हैक्टेयर ही दर्ज किया गया अर्थात गत रकबे के मुकाबले 0.64 हैक्टेयर आराजी कम दर्ज की गई तथा गत खसरा नम्बर 12 के नये खसरा नम्बर 17 को वादीगण के खाते दर्ज नहीं किया गया। उक्त निर्णय पूर्णतया अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि इंतकाल संख्या 263 से दर्ज भूमि में खसरा नम्बर 12 शामिल नहीं था। अर्थात सेटलमेंट से पूर्व ही प्रश्नगत खसरा नम्बर 12 अप्रार्थीगण के खातेदारी में नहीं था। इन्तकाल संख्या 263 में पटवारी की टिप्पणी में स्पष्टतया अंकित है कि खसरा नम्बर 12 का डिक्री में इन्द्राज नहीं है। यदि खसरा नम्बर 12 का डिक्री में इन्द्राज नहीं है तो अप्रार्थीगण को सीलिंग प्रकरण के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.1976 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 12 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.1976 का भाग था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष भी स्वीकार कर लिया तो भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधिकारिता से परे है क्योंकि इस स्थिति में इन्तकाल संख्या 263 त्रुटिपूर्ण हो जाता है तथा इस परिस्थिति में अप्रार्थीगण को इन्तकाल संख्या 263 की अपील न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है कि सेटलमेंट द्वारा गत खसरा नम्बर 12 से बने नये खसरा नम्बर 17 को वादीगण के खाते दर्ज नहीं किया गया। क्योंकि खसरा नम्बर 12 इन्तकाल संख्या 263 में

म्मिलित नहीं था। अतः दौराने सेटलमेंट सिवायचक ही दर्ज था। इस कारण सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 12 के नवीन खसरा नम्बर 17 को भी सिवायचक दर्ज किया गया जो पूर्णतया नियमों के अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों से परे जाकर तथा अपनी अधिकारिता से परे जाकर तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सम्वत् 2031 से 2034 की जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 12, 16, 437/16, 23 कुल किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 12 बिस्वा रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त आराजी के वर्तमान रकबा 6.97 हैक्टेयर बनता है। भू–प्रबन्ध के पश्चात कुल रकबा केवल 6.33 हैक्टेयर ही दर्ज किया गया है अतः 0.64 हैक्टेयर रकबा भू–प्रबन्ध के द्वारा गलत रूप से कम दर्ज किया गया है। गत खसरा नम्बर 12 के नये खसरा नम्बर 17 को वादीगण रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज नहीं किया गया है। जिसके सम्बंध में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 181/74 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.1976 में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को गत खसरा नम्बर 16 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 17 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 23 रकबा 26 बीघा का खातेदार घोषित किया गया तथा तदनुसार अनुरूप डिक्री जारी की गई। परन्तु भू–प्रबन्ध के अधिकारियो द्वारा खसरा नम्बर 12 से बनाये गए नए खसरा नम्बर 17 रकबा 0.57 हैटेयर आराजी को वादीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज नहीं किया गया जबकि निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.1976 की पालना में उक्त खसरा नम्बर 17 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का कमी रकबा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 17 रकबा 0.57 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2018 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6/1 से 6/8 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते हुए वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से दिनांक 10.11.2017 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण को धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मानकर वाद अनुसार कार्यवाही किए जाने का अनुतोष चाहा गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 15.11.2017 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.11.2017 को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को वाद के रूप में परिवर्तित किया जाना स्वीकार किया गया तथा प्रकरण सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा को स्थानान्तरित किया गया। प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से ग्राम मानसगांव तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 17 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में हक घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 17 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि वादपत्र प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड होने का कथन किया है। अतः प्रश्नगत खसरा नम्बर 17 रकबा 0.57 हैक्टेयर सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा तहसीलदार लाडपुरा को पक्षकार कायम किया गया है। चूंकि प्रश्नगत वाद खातेदारी घोषणा का है तथा प्रश्नगत प्रकरण को वाद के रूप में ग्रहण किया गया है अतः हमारे हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई। उभयपक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किए तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 पारित की है जो सी.पी.सी.

के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम किया जाने के उपरांत उभयपक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 78/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2018 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम करे तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा